| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**
**श्री सी.आर.मीणा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री वी.एस.राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

**निर्णय**

**दिनांकः– 01–10–2021**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–4–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रश्नगत आराजी के संबंध में एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद को विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–1977 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील के विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 08–1–1999 को अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के कम में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 03–4–2000 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण/वादीगण ने यह निगरानी मण्डल के

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

समक्ष पेश की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थीगण ने मृतक व्यक्तियों के मृत्यु की तिथि अंकित नहीं की है तथा न ही मृतक व्यक्तियों के वारिसान को रेकार्ड पर लिए बाबत अलग-अलग आवेदन पेश किए है। यहीं नहीं आक्षेपित निर्णय पारित करते समय न्यायालय ने उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। उनका आगे कहना है कि अबेटमेन्ट सेटेसाईड किए बिना वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। आगे बताया कि अप्रार्थीगण की अपील अबेट हो गई है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पेश आलोच्य प्रार्थना पत्र मियाद से बाधित था, इस कारण कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत उनके द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा न ही इस बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 03-4-2000 एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत अपील को अबेट निर्धारित करते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप करने के प्रार्थीगण ने कोई नवीन तथ्य पेश नहीं किए है। उनका कहना है कि पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के अनपढ काश्तकार है जिनके कानून व नियमों के सम्यक जानकारी नहीं होती है। इस स्थिति में उनके द्वारा मृतक के विधिक

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत यथासमय उचित कार्यवाही नहीं की जा सकी। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील केवल मात्र तकनीकी आधार पर अबेट निर्धारित नहीं की जा सकती। आगे बताया कि विभिन्न न्यायालयों ने यह निर्धारित किया कि किसी पक्षकार को केवल विलम्ब के बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि किसी प्रकरण को केवल मात्र तकनीकी आधार पर अपास्त नहीं किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना श्रेष्ठकर होता है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।<br><br>हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।<br><br>पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने विवादित आराजी के संबंध में धारा 88 व 188 के तहत मूल वाद पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 15-4-1977 द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। उक्त अपील के विचारण के दौरान अपीलार्थी ने मृत पक्षकारान के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत आवेदन पेश किया, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रकरण का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण ने मृतक पक्षकारान के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत मियाद से बाधित आवेदन पेश किया है। इस बाबत यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि तकनीकी आधार पर अधीनस्थ अपीलीय | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील को अबेट कर दिया जाता है तो पक्षकार के मध्य सही न्याय नहीं हो पायेगा। इसके साथ ही इससे भविष्य में पक्षकारान के मध्य और अधिक काननूनी जटिलताएं की सम्भावना को बढावा मिलेगा। अप्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, जिन्हें कानून की सम्यक जानकारी नहीं होती है। विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं कर गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए तथा की गयी सद्भाविक/तकनीकी त्रुटि को क्षम्य किया जाना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि किसी मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने मात्र से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रकरण का निर्णय विधिक वारिसान के पक्ष में हो जायेगा। इस बाबत यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय साक्ष्य का मोहताज है तथा किसी प्रकरण में पारित निर्णय भविष्य में पक्षकारान द्वारा पेश प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विधि के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी अपील अबेटमैन्ट के आधार पर खारिज नहीं हो सकती। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून में प्रतिपादित सिद्धान्त की मंशा तथा प्रकरण में निहित तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मृतकों के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का विस्तृत विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सारांशतः निगरानी मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।<br>वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | तथा निगरानी के माध्यम से केवल उन्हीं आदेशों में हस्तक्षेप किया जाता है जिसमें पारित किया गया आदेश उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया हो। परन्तु हस्तगत मामले में ऐसा प्रतीत नहीं होता है।<br>परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय दिनांक 03–4–2000 को यथावत रखा जाता है।<br>निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को भिजवाई जावे।<br>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**( सी.आर.मीणा )**<br>**सदस्य** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/6159/2001/नागौर<br>बुलीदानसिंह वगैरहा बनाम नगासिंह वगैरहा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |